(3)– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व यथास्थिति जहां आवश्यक हो वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(4)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय यथासमय बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(5)– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

(6)– वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012, दिनांक–28.03.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त धनराशि का आहरण इन्टरनेट पर डाउनलोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय व्यय के अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति, 001–निदेशन तथा प्रशासन–102–सिविल पूर्ति योजना–02–निर्धन परिवारों हेतु रसोई गैस पर अनुदान 50–सब्सिडी की सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–305मतदेय/XXVII(5)/17-18, दिनांक–12.03.2018 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–253/XIX-1/18–07/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–05/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
6– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)
अनु सचिव।